

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3035

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की प्रगति की समीक्षा

3035. श्रीमती संजना जाटव:

श्री राहुल कस्वां:

श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में घोषित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्यों के प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान स्रोत-बार और राज्य-वार, विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में संस्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान राजस्थान, विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों का सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में योगदान राष्ट्रीय योजनाओं के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पहचान की गई किन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय बजट में वर्तमान और आगामी वित्त वर्षों के लिए कोई सुधारात्मक उपाय या अतिरिक्त आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 271.96 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

पिछले तीन वित्त वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष (31.01.2026 तक) के दौरान स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का स्रोत-वार और राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

दिनांक 09.03.2026 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान के भरतपुर जिले में पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, 1241 रूफटॉप सोलर सिस्टम संस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, पीएम-कुसुम घटक-बी के तहत जिले में 420 सौर पंप संस्थापित किए गए हैं।

(ग) देश में अधिकांश यूटिलिटी-स्तर की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं डेवलपर्स द्वारा स्थापित की जा रही हैं जिनका चयन पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान सरकार ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 जारी की है। इस नीति का लक्ष्य 2029-30 तक राज्य में 125 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) ने सूचित किया है कि राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को जिला-वार विभाजित नहीं किया गया है।

(घ) और (ड) केन्द्रीय बजट के अंतर्गत, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आवंटन प्रदान किए जाते हैं। एमएनआरई के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 (संशोधित अनुमान) के दौरान 25,301.22 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है, और वित्त वर्ष 2026-27 (बजट अनुमान) के लिए 32,914.67 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास और स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधानों वाली विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। देश में चल रही प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-1

'नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की प्रगति की समीक्षा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3035 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

पिछले तीन वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष (दिनांक 31.01.2026 तक) के दौरान स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का स्रोत-वार और राज्य-वार विवरण

(मेगावाट में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	बायो ऊर्जा	सौर ऊर्जा	बड़ा हाइड्रो	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2.40	319.13	27.98	2548.62	1680.00	4578.13
2	अरुणाचल प्रदेश	9.51	0.00	0.00	4.21	500.00	513.72
3	असम	0.00	0.00	0.00	356.27	0.00	356.27
4	बिहार	0.00	0.00	14.20	244.71	0.00	258.91
5	छत्तीसगढ़	24.90	0.00	10.42	1237.32	0.00	1272.64
6	गोवा	0.00	0.00	1.60	53.69	0.00	55.29
7	गुजरात	23.91	5645.97	20.59	19729.27	0.00	25419.74
8	हरियाणा	0.00	0.00	67.67	1629.45	0.00	1697.12
9	हिमाचल प्रदेश	46.60	0.00	0.00	270.12	1158.00	1474.72
10	जम्मू और कश्मीर	45.25	0.00	0.00	32.55	0.00	77.80
11	झारखंड	0.00	0.00	15.84	146.98	0.00	162.82
12	कर्नाटक	4.00	3292.74	14.90	3233.19	0.00	6544.83
13	केरल	34.00	9.02	0.00	1717.08	151.65	1911.75
14	लद्दाख	6.15	0.00	0.00	4.22	0.00	10.37
15	मध्य प्रदेश	24.00	1071.26	24.13	3137.69	0.00	4257.08
16	महाराष्ट्र	3.20	834.18	366.15	16474.11	0.00	17677.64
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	5.27
18	मेघालय	22.50	0.00	0.00	0.13	0.00	22.63

19	मिजोरम	9.00	0.00	0.00	25.79	0.00	34.79
20	नागालैंड	2.00	0.00	0.00	0.30	0.00	2.30
21	ओडिशा	34.00	0.00	5.00	322.08	0.00	361.08
22	पंजाब	0.00	0.00	84.94	460.92	0.00	545.86
23	राजस्थान	0.00	902.33	82.44	25360.17	1.50	26346.44
24	सिक्किम	3.00	0.00	0.00	2.88	0.00	5.88
25	तमिलनाडु	0.00	2218.19	3.92	6664.43	25.00	8911.54
26	तेलंगाना	0.00	0.00	1.93	544.62	0.00	545.35
27	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	20.27	0.00	20.27
28	उत्तर प्रदेश	1.50	0.00	120.40	1585.45	0.00	1707.35
29	उत्तराखंड	15.00	0.00	10.13	264.35	930.00	1219.48
30	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	29.41	154.62	0.00	184.03
31	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63
32	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	23.68	0.00	23.68
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	3.75	88.72	0.00	92.47
34	दिल्ली	0.00	0.00	26.17	192.18	0.00	218.35
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30
36	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	63.92	0.00	63.92
	कुल (मेगावाट)	310.92	14292.82	931.57	86605.19	4446.15	106585.45

'नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की प्रगति की समीक्षा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3035 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II

चल रही प्रमुख नवीरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन			
क) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना	1. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए निम्नानुसार है:			
	क्र.सं.	आवासीय खंड का प्रकार	सीएफए	सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
	1	आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)	30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक
	2	आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक
	3	आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
4	समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक	
2. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है ताकि उन्हें अनुकूल विनियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने, कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य हासिल करने जैसी गतिविधियों में प्रेरित और मदद की जा सके। प्रोत्साहन, स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% से कम की स्थापित बेस क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 5% है;				

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	<p>स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 10% है।</p> <p>3. आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली (आरटीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के लिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को यूएलबी/पीआरआई के अधिकार क्षेत्र में आवासीय खंड में आरटीएस की प्रत्येक स्थापना के लिए 1000 रुपये की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके लिए उपभोक्ता को सीएफए हस्तांतरित कर दिया गया है।</p> <p>4. इसके अतिरिक्त, देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।</p>
<p>ख) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।</p>	<p>प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।</p>
<p>ग) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'</p>	<p>लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा; (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (दक्षता और अधिकतम विद्युत का ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट)); और (iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता।
<p>घ) सौर पार्क योजना</p>	<p>(क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक।</p> <p>(ख) सौर पार्कों की साझा अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।</p>
<p>ड) पीएम-कुसुम योजना</p>	<p>घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना।</p> <p>उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)।</p>

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	<p>यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।</p> <p>घटक-ख: 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना।</p> <p>उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।</p> <p>घटक-ग: फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 35 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण।</p> <p>उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।</p> <p>(ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।</p>
<p>च) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना (अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए)</p>	<p>(क) जीईसी चरण-I (इंट्रा-स्टेट): डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।</p> <p>(ख) जीईसी चरण-II (इंट्रा-स्टेट): डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।</p>

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	(ग) जीईसी चरण-II (इंटर-स्टेट): डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।
छ) बायोमास कार्यक्रम	<p>(क) ब्रिकेट निर्माण संयंत्र के लिए: 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए - 45 लाख रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ख) गैर-खोई सह-उत्पादन परियोजना के लिए: 40 लाख रु. प्रति मेगावाट (स्थापित क्षमता पर) (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ग) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक 16.07.2024 से पहले प्राप्त हुए हैं 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए - 45 लाख रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(घ) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक 16.07.2024 को या उसके बाद प्राप्त हुए हैं:</p> <p>i. गैर-टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिए: 21 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 105 लाख रु. प्रति परियोजना)</p> <p>i. टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिए: 42 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 210 लाख रु. प्रति परियोजना)</p>
ज) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम	<p>(क) बायोगैस उत्पादन के लिए: 0.25 करोड़ रु. प्रति 12,000 घन मीटर प्रति दिन (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ख) बायो-सीएनजी/संवर्धित बायोगैस/कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन: (अधिकतम सीएफए - 10 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>i. नए बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन - 4.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन</p> <p>ii. मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन - 3.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन</p> <p>(ग) बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन के लिए: (अधिकतम सीएफए - 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>i. नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.75 करोड़ रु. प्रति मेगावाट</p>

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	<p>ii. मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट</p> <p>(घ) जैव (बायो) एवं कृषि औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन (दहन प्रक्रिया के जरिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को छोड़कर) के लिए: 0.40 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए - 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ङ) विद्युत/थर्मल अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीफायर:</p> <p>i. विद्युत अनुप्रयोग के लिए ड्यूअल फ्यूल इंजन के साथ 2,500/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य</p> <p>ii. विद्युत अनुप्रयोग के लिए 100% गैस इंजन के साथ 15,000/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य</p> <p>iii. थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 2 लाख रु. प्रति 300 किलोवाट थर्मल (KW_{th})</p> <p>नोट:</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र विशेष श्रेणी वाले राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड), जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित किए जाते हैं, तो पात्र सीएफए उपर्युक्त मानक सीएफए पैटर्न से 20% अधिक होगी। गौशाला द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त उद्यमों/साझेदारी के जरिए स्थापित, मुख्य फीडस्टॉक के रूप में पशु गोबर पर आधारित बायोगैस/बायो-सीएनजी/विद्युत (बायोगैस आधारित) उत्पादन संयंत्र, मानक सीएफए पैटर्न से 20% से अधिक सीएफए के लिए पात्र होंगे। ये गौशाला (शेल्टर) संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकृत होने चाहिए।

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
झ) बायोगैस कार्यक्रम	<p>(क) लघु बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर प्रति दिन क्षमता के संयंत्र) के लिए घन मीटर में संयंत्र के आकार के आधार पर प्रति संयंत्र 9,800/- रु. से 70,400/- रु.</p> <p>(ख) विद्युत उत्पादन के लिए प्रति किलोवाट 35,000/- रु. से 45,000/- रु. और थर्मल अनुप्रयोगों के लिए प्रति किलोवाट समतुल्य 17,500/- रु. से 22,500/- रु. (25-2500 घन मीटर प्रति दिन संयंत्र क्षमता)।</p> <p>पात्र सीएफए पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपसमूह, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए मानक सीएफए से 20% अधिक होगा।</p>
ञ) आर एंड डी कार्यक्रम	<p>मंत्रालय, उद्योग के सहयोग से अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास प्रस्तावों को बढ़ावा देता है और सरकारी/गैर-लाभकारी वाले अनुसंधान संगठनों को 100% और उद्योग, स्टार्ट-अप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और निर्माण इकाइयों को 70% वित्तीय सहायता देता है।</p>
ट) राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन	<ul style="list-style-type: none"> • इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए साइट कार्यक्रम के तहत 4,440 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। प्रोत्साहन की राशि प्रथम वर्ष में 4,440 रु. प्रति किलोवाट से शुरू होती है और पांचवें वर्ष में 1,480 रु. प्रति किलोवाट पर समाप्त होती है। • ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसके डेरिवेटिव्स के लिए साइट कार्यक्रम हेतु 13,050 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> ○ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 50 रु./कि.ग्रा., 40 रु./कि.ग्रा. और 30 रु./कि.ग्रा. निर्धारित की गई है। ○ ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए, उत्पादन एवं आपूर्ति के प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि 8.82 रुपए प्रति कि.ग्रा., उत्पादन एवं आपूर्ति के दूसरे वर्ष में 7.06 रुपए प्रति कि.ग्रा., तथा उत्पादन एवं आपूर्ति के तीसरे वर्ष में 5.30 रुपए प्रति कि.ग्रा. है। • वित्त वर्ष 2025-26 तक परिवहन क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पायलट परियोजनाओं के लिए परिव्यय 496 करोड़ रु. है। • वित्त वर्ष 2025-26 तक नौवहन क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के लिए परिव्यय 115 करोड़ रु. है। • वित्त वर्ष 2029-30 तक इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के लिए परिव्यय 455 करोड़ रु. है।

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन								
	<ul style="list-style-type: none"> • वित्त वर्ष 2025-26 तक हाइड्रोजन वैली और हब के लिए परिव्यय 200 करोड़ रु. है। • वित्त वर्ष 2025-26 तक मिशन के आर एंड डी कार्यक्रम का बजट 400 करोड़ रु. है। • वित्त वर्ष 2029-30 तक मिशन के कौशल विकास घटक के लिए परिव्यय 35 करोड़ रु. है। • वित्त वर्ष 2025-26 तक मिशन के परीक्षण घटक के लिए परिव्यय 200 करोड़ रु. है। • वित्त वर्ष 2025-26 तक ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नई एवं उन्नत तकनीकों और अनुप्रयोगों के लिए परिव्यय 200 करोड़ रु. है। 								
<p>ठ) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजाति और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)</p>	<table border="1" data-bbox="643 814 1425 1535"> <thead> <tr> <th data-bbox="643 814 1036 863">घटक</th> <th data-bbox="1036 814 1425 863">केंद्रीय भाग (100%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="643 863 1036 995">1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफगिड प्रणाली का प्रावधान</td> <td data-bbox="1036 863 1425 995">50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 995 1036 1173">सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)</td> <td data-bbox="1036 995 1425 1173">प्रति एमपीसी 1 लाख रु.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 1173 1036 1535">ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)</td> <td data-bbox="1036 1173 1425 1535">20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट</td> </tr> </tbody> </table>	घटक	केंद्रीय भाग (100%)	1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफगिड प्रणाली का प्रावधान	50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार	सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)	प्रति एमपीसी 1 लाख रु.	ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)	20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट
घटक	केंद्रीय भाग (100%)								
1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफगिड प्रणाली का प्रावधान	50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार								
सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)	प्रति एमपीसी 1 लाख रु.								
ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)	20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट								
